अध्याय 5
इनपुट कर प्रत्यय

धारा 16 : इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में उसको की गई ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिनका उसके कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में की जाएगी।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको की गई किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में किसी इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,–

(क) उसके कब्जे में इस अधिनिमय के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो;

[1][**(कक)** खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बहिर्गामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए है और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए है।]

(ख) उसने माल या सेवाओं या दोनों को प्राप्त न कर लिया हो।

[2][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है–

(i) जहां माल का परिदान किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देष पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(ii) जहां सेवा का उपबंध पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निर्देश पर और उसके मद्दे किया जाता है।]

[3][**(खक)** धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों;]

---

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा खंड (कक) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है;"

3 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा खंड (खक) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

(ग) [4][धारा 41 [5][.....]] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी पूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त पूर्ति के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए; और

(घ) उसने धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत न कर दी हो :

परन्तु जहां किसी बीजक के प्रति माल, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किस्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसी पूर्तियों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, [6][धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा;]

परन्तु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदाय कर के मद्दे रकम का [7][उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किये गये संदाय] पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट [8][.....] संबंधित है, अंत पर आगामी [9][30 नवम्बर] के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

[10][**परन्तु** यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के लिए ऐसे नामे नोट से संबंधित किसी बीजक के संबंध में मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी

---

4 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''धारा 41'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील तिथि अधिसूचित की जावेगी।

5 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा ''या धारा 43क'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

6 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा ''उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

7 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा ''उसके द्वारा किये गये संदाय'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

8 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा शब्द ''से संबंधित बीजक'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

9 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा ''सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की अंतिम तारीख'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

10 माल और सेवा कर (कठिनाईयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 [आदेश सं. 2/2018–केन्द्रीय कर], दिनांक 31.12.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित।

प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए है।]

[11][(5)] उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनो की पुर्ति के लिए किसी बीजक या नामें नोट के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में जिसे 30 नवंबर 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 के अधीन रदद् किया जाता है और तत्पश्चात या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहत किया जाता है और जहां बीजक या नामें नोट के सबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उपधारा (4) के अधीन निर्बधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनो की आपूर्ति के लिए ऐसे बीजक या नामें नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, –

(i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक इनमें जो भी पूर्वतर हो, फाइल की जाती है या

(ii) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हों फाइल की जाती है।]

उपयुक्त नियम : नियम 36, 37, 37क एवं 38

---

11 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा उपधारा (5) एवं (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 27.09.2024 से प्रभावशील किया गया। वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) की धारा 150 अनुसार ''भुगतान किए गए सभी करों की कोई वापसी नहीं की जाएगी या इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिलोम किया जाएगा, जिस कर का भुगतान नहीं किया गया होता या प्रत्यय का प्रतिलोम नहीं किया गया होता, यदि धारा 118 सभी भौतिक समय पर लागू होती है।''